न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री सुरेन्द्र सिह पुरोहित, (आर0ए0एस0)
रास्ता प्रा0पत्र सं0 : 05 सन 2017
अनवान :–

1. बलराम पुत्र भादरराम जाति मेघवंशी निवासी चारणवासी तहसील नोहर ।

सायल

बनाम

1. राजपाल पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. फकीरचन्द 3. रामस्वरूप पि0 भादरराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. सुरस्वती 5 सुन्दर 6. तीजा 7. रेशमी पुत्रीयान भादरराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सोनादेवी पत्नी रामप्रताप जाति मेधवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. जीतराम 10 पालाराम 11 शंकरलाल 12. विनोद 13 शोफी पुत्र/पुत्रीयान रामप्रताप जाति मेधवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. पातो 15. कुम्भाराम 16 दीपाराम 17. साहबराम पुत्र/पुत्रीयान रामचन्द्र जाति मेधवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. राजेश 19 प्रहलाद पि0 चुरीदेवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20 माडूराम 21 मंजू 22 सोनू पुत्र/पुत्रीयान बीमा पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. राजेश 24. हरिसिह 25. सरोज 26. सुमन 27. सिलोचना पुत्र/पुत्रीयान गिरदावरी पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवंशी निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

गैर सायलान

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) बाबत स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अभिभाषक, सालय
श्री हवासिह पुनिया अभिभाषक 15,16 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 17/1/2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने दिनांक 31.01.2017 को विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 7 केएनएन के खाता संख्या 58/60 के प0न0 337/366(15) के किला न0 21/0.253 ,22/0.253 ,23/0.253 ,कुल 0.7590हैक्ट नहरी भूमि है तथा इसी चक में सायल के चिपते हुए गैर सायलान की कृषि भूमि खाता संख्या 90/85 के प0न0 337/366(15) के किला न0 4/0.253 ,5/0.227 ,6/0.228 ,15/0.228 , 16/0.228 ,25/0.227 प0न0 335/369(34) के किला न0 11/0.253 ,20/0.253 ,21/0.253 , प0न0 334/369 (35) के किला न0 15/0.228 ,16/0.228 ,23/0.253 ,24/0.235 ,25/0.227 प0न0 0 मु0न0 69/12 के किला न0 0/0.1270गै0मु0 रास्ता कुल किता 15 की 3.4660हैक्ट भूमि है जिसमें नहरी 2.1750हैक तथा बारानी 1.1640हैक भूमि है। तथा इसी चक के खाता संख्या 93/88 के प0न0 337/366(15) के किला न0 17/0.253 ,24/0.253 ,प0न0 337/367(18) के किला न0 4/0.253 ,11/0.253 ,12/0.253 ,13/.253 , 18/0.253 ,19/0.253 ,20/0.253 ,21/0.253 ,22/0.253 ,23/0.253 कुल किता 12 की कुल 3.036हैक्ट भूमि है।

खातेदार रामचन्द्र फोत हो चुका है इसलिये उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है उनका एक पुत्र रामप्रताप भी फोत हो चुका है उसके वारिसान गैर सायलान 8 ता 13 तथा एक पुत्री चुसीदेवी फोत हो चुकी है जिनके वारिसान गैरसायल न0 18 ,19 है एवं अन्य पुत्री गिरदावरी फोत हो चुकी है जिनके वारिसान गैर सायलान सं. 23 ता 27 है उनकी एक

पुत्री बीमा भी फोत हो चुकी है जिनके वारिसान गैर सायलान 20 ता 22 है जिन्हे पक्षकार बनाया गया है।

(6)

सायल अपने खेत में आवागमन के लिये प०न० 337/366(15) जो मंजुरशुद्धा रास्ता है से होते हुए गैरसायलान के खेत में प्रवेश करके अपने में आवागमन करता है सायल के खेत में जाने के लिए प०न० 337/366(15) के किला न० 24 ,25 में दक्षिण की तरफी 1 –1 बिश्वा पूर्व से पश्चिम चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है इसके अलावा इनके खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है।

उक्त रास्ता पर सदामत से आवागमन होता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्त मंजूर नही होने के कारण गैर सायलान हमेशा रास्ता को बंद करने की ऐलानिया धमकी देते है यदि ऐसा हो गया तो सायल अपने खेत में आवागमन नही कर सकेगा तथा फसल बर्बाद हो जावेगी तथा काश्त करने में परेशानी होगी इसलिये गैर सायलान के खेत के प०न० 337/366(15) के किला न० 24 ,25 में दक्षिण की तरफ 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर इसके बदले में बाजार भाव से जितनी राशि बनती है या चिपती हूई भूमि सायलान देने का आदेश पारित करवाना चाहता है रास्ते के बदले में बलराम के खाते में से खाता संख्या 50/60 प०न० 337/366(15) के किला न० 23 में से 2 बिश्वा भूमि गैर सायलान के चिपते हुए रामचन्द्र आदि को प०न० 337/366(15) के किला न० 24 में देगा और रामचन्द्र आदि गैरसायलान को चिपते हुए खाता संख्या 93/88 के प०न० 337/366(15) के किला न० 24 में से 1 बिश्वा भूमि गैर सायलान राजपाल आदि प०न० 337/366 (15) के किला न० 25 में देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 केएनएन के प०न० 337/366(15) के किला न० 24 ,25 में दक्षिण की तरफ 1–1 बिश्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैरमु० रास्ता दर्ज किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी/गैरसायलान संख्या 1 ता 1 ता 14 ,17 ता 27 को सम्मन /रजिस्टर नोटिस से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी/गैरसायल न० 15 ,16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प०न० 337/366(15) के किला न० 24 ,25 मे दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम कभी भी सायल का आवागमन नही रहा ना ही यह रास्ता नजदीकी एवं सुविधाजनक है ना ही रास्ता चालू है एव ना ही रास्ता सायल स्वीकृत करवाने का अधिकारी है ना ही रास्ता चालू है सिर्फ मनगढत तथ्यों के आधार पर आपसी नाराजगी की वजह से तंग व परेशान करने की लिए झुठा प्रार्थना पेश किया जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है। गैरसायलान उतरदाता छोटी पटटी के काश्तकार है यदि प०न० 337/366(15) के किला न० 24 ,25 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसके खेत के 2 टूकडे हो जावेगे जिससे काश्त करने में परेशानी होती है ना ही यह रास्ता सुबिधाजनक एव नजदीकी है ना ही इस रास्ता से प्रार्थी ने कभी आवागमन किया गया है। प०न० 337/366(15) के किला न० 21 ता 25 में मौके पर सी.ए.डी विभाग द्वारा खाला बनवाया हुआ है जो पक्का बना हुआ है एवं मौके पर चालू है वहाँ पर किसी भी प्रकार से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है प्रार्थी ने झूठा दावा पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए व्यक्त किया की सायल व गैरसायलान दोनो खातेदार काश्तकार है व एक दुसरे के चिपते काश्तकार है । सायल अपने खेत में आवागमन के लिये प०न० 337/366(15) जो मंजुरशुद्धा रास्ता है से होते हुए गैरसायलान के खेत में प्रवेश करके अपने में आवागमन करता है सायल के खेत मे जाने के लिए प०न० 337/366(15) के किला न० 24 ,25 में दक्षिण की तरफी 1 –1 बिश्वा पूर्व से पश्चिम चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है इसके अलावा इनके खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ता पर सदामत से आवागमन होता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्त मंजूर नही होने के कारण गैर सायलान हमेशा रास्ता को बंद करने की ऐलानिया धमकी देते है किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि काश्त करने के लिये रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है ताकि वह अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर सके है फसल काश्त मे अन्य कृषि कार्य कर सके। तहसीलदार राजस्व नोहर की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/सायल को उसके खेत में जाने के लिये प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

Scanned with CamScanner

सायल गैर सायलान के खेत के प0न0 337/366(15) के किला न0 24 ,25 में (7)
की तरफ 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर इसके बदले में बाजार भाव से जि
राशि बनती है या चिपती हूई भूमि सायलान देने का आदेश पारित करवाना चाहता है रास्ते
के बदले में बलराम के खाते में से खाता संख्या 50/60 प0न0 337/366(15) के किला न0
23 में से 2 बिश्वा भूमि गैर सायलान के चिपते हुए रामचन्द्र आदि को प0न0 337/366(15)
के किला न0 24 में देगा और रामचन्द्र आदि गैरसायलान को चिपते हुए खाता संख्या
93/88 के प0न0 337/366(15) के किला न0 24 में से 1 बिश्वा भूमि गैर सायलान
राजपाल आदि प0न0 337/366 (15) के किला न0 25 में देने को तथ्यार है अतः सायल का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 केएनएन के प0न0 337/366(15) के किला न0 24
,25 में दक्षिण की तरफ 1–1 बिश्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व
रिकार्ड में गैर0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वकील गैरसायल संख्या 15 ,16 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए व्यवत किया की प0न0 337/366(15) के किला न0 24 ,25 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम कभी भी सायल का आवागमन नही रहा ना ही यह रास्ता नजदीकी एवं सुविधाजनक है ना ही रास्ता चालू है एव ना ही रास्ता सायल स्वीकृत करवाने का अधिकारी है ना ही रास्ता चालू है सिर्फ मनगढत तथ्यों के आधार पर आवसी नाराजगी की वजह से तंग व परेशान करने की लिए झुठा प्रार्थना पेश किया जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है। गैरसायलान उतरदाता छोटी पटटी के काश्तकार है यदि प0न0 337/366(15) के किला न0 24 ,25 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसके खेत के 2 टूकडे हो जावेगे जिससे काश्त करने में परेशानी होती है ना ही यह रास्ता सुविधाजनक एव नजदीकी है ना ही इस रास्ता से प्रार्थी ने कभी आवागमन किया गया है। प0न0 337/366(15) के किला न0 21 ता 25 में मौके पर सी.ए.डी विभाग द्वारा खाला बनवाया हुआ है जो पक्का बना हुआ है एवं मौके पर चालू है वहाँ पर किसी भी प्रकार से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है प्रार्थी ने झूठा दावा पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायलान दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है जिसके सम्बध में दोनो पक्षकारों को किसी प्रकार का ऐतराज नही है सायल का कथन है उसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये प0न0 337/366(15) जो मंजुरशुदा रास्ता है से होते हुए गैरसायलान के खेत में प्रवेश करके अपने में आवागमन करता है जो गैरसायलान की खातेदारी भूमि है।

गैरसायल का कथन है कि सायल को उसके खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता है किन्तु गैरसायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे साबित हो सके की सायल को उसकी खातेदार भूमि में जाने के लिये रास्ता हो ना ही खाला के सम्बध में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश किया गया है जबकि तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट से स्पष्ट है की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है प्रश्नगत रास्ता की सायल को आवश्यकत्ता है जो नजदीकी एवं सुविधाजनक है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि काश्त करने के लिये रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है । सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार सही व नियमानुसार है। अर्थात प्रार्थी को वांछित रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 7 केएनएन के के
प0न0 337/366(15) के किला न0 24 ,25 में दक्षिण की तरफ 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत
किया जाता है एवं रास्ते के बदले में बलराम के खाते में से खाता संख्या 50/60 प0न0
337/366(15) के किला न0 23 में से 2 बिश्वा भूमि गैर सायलान के चिपते हुए रामचन्द्र
आदि को प0न0 337/366(15) के किला न0 24 में देगा और रामचन्द्र आदि गैरसायलान को
चिपते हुए खाता संख्या 93/88 के प0न0 337/366(15) के किला न0 24 में से 1 बिश्वा
भूमि गैर सायलान राजपाल आदि प0न0 337/366 (15) के किला न0 25 में दर्ज की जावें
है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल
किया । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 17/6/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांक : राजस्व/2013/2017/251(क)/5

तहसीलदार,

नोहर

दिनांक 17.6.19

(5)

विषय :- रास्ता प्रार्थना-पत्र सं0 05 सन 2017 निर्णय दिनांक की पालना करने के सम्बध मे ।

अनवान :-

1. बलराम पुत्र भादरराम जाति मेघवंशी निवासी चारणवासी तहसील नोहर ।

सायल

बनाम

1 राजपाल पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

2. फकीरचन्द 3. रामस्वरूप पि0 भादरराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

3. सुरस्वती 5 सुन्दर 6. तीजा 7. रेशमी पुत्रीयान भादरराम जाति जाट साकिन चारण्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8. सोनादेवी पत्नी रामप्रताप जाति मेघवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. जीतराम 10 पालाराम 11 शंकरलाल 12. विनोद 13 शोफी पुत्र/पुत्रीयान रामप्रताप जाति मेघवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

14. पातो 15. कुम्भाराम 16 दीपाराम 17. साहबराम पुत्र/पुत्रीयान रामचन्द्र जाति मेघवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

18. राजेश 19 प्रहलाद पि0 चुन्नीदेवी पुत्री रामचन्द जाति मेघवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

20 मांडूराम 21 मंजू 22 सोनू पुत्र/पुत्रीयान बीमा पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवंशी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

23. राजेश 24. हरिसिह 25. सरोज 26. सुमन 27. सिलोचना पुत्र/पुत्रीयान गिरदावरी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवंशी निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

गैर सायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 उपनिवेषन अधिनियम के तहत नया रास्ता खोलना

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवानी रास्ता प्रार्थना-पत्र में दिनांक 17/6/19 को निर्णय परित किया जाकर रास्ता प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 7 केएनएन के के प0न0 337/366(15) के किला न0 24 ,25 में दक्षिण की तरफ 1-1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ते के बदले में बलराम के खाते में से खाता संख्या 59/60 प0न0 337/366(15) के किला न0 23 में से 2 बिश्वा भूमि गैर सायलान के चिपते हुए रामचन्द्र आदि को प0न0 337/366(15) के किला न0 24 में देगा और रामचन्द्र आदि गैरसायलान को चिपते हुए खाता संख्या 93/88 के प0न0 337/366(15) के किला न0 24 में से 1 बिश्वा भूमि गैर सायलान राजपाल आदि प0न0 337/366 (15) के किला न0 25 में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह मे भिजवाई जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner